



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 52,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 375/2017 धारा-308/34,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तों 1.राजकुमार उर्फ राजू पुत्र जगत सिंह 2.जीतेन्द्र पुत्र मुकेश 3.नरेन्द्र पुत्र परमलाल लोधी 4. रामकुमार उर्फ माते पुत्र जगत सिंह को 03 वर्ष की सदाचारण की परिवीक्षा तथा प्रत्येक को 10,000-10,000 रु0 के अर्थदण्ड से व 1.जगत सिंह पुत्र फकीरा नि0गण ग्राम डकठौर थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष सश्रम कारावास व 12,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।



अभियोजक-
डीजीसी श्री राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 इन्द्रपाल
सिंह



पैरोकार- थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव